

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर
वित्त-नियम विभाग

क्रमांक:-एफ-4/वित्त/नियम/2013/6764
परिपत्र

दिनांक 12-09-2013

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ/रारापनि/वित्त/नियम/2013/6084 दिनांक 8.8.2013 के द्वारा निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन रिटायर्ड एम्पलाईज मेडीकल वेलफेयर स्कीम, 2013 के कियान्वन के क्रम में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं :-

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति आदेश एवं गुत भुगतान प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति इस योजना की सदस्यता ग्रहण करने हेतु आवेदन पत्र/विकल्प के साथ प्रस्तुत करने पर ईकाई/आगार कार्यालय द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी से रुपये 10,000/- जमा करवाये जावेंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा यह आवेदन पत्र अपनी सुविधानुसार अपने निवास स्थान के निकटतम आगार/इकाई में प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा इस स्कीम की सदस्यता ग्रहण किये जाने के पश्चात सम्बन्धित इकाई/आगार द्वारा स्कीम के बिन्दु संख्या-7 में वर्णितानुसार एवं निर्धारित प्रारूप में परिचय पत्र जारी / नवीनीकरण किया जावेगा।
3. ईकाई/आगार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों से वसूल की गई राशि की अनुसूची (शिडयूल) उप महा प्रबन्धक (पेंशन) को प्रेषित की जावेगी।
4. वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा इस स्कीम को अपनाने हेतु विकल्प/आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में योजना के बिन्दु संख्या-6 (iii) के अनुसरण में रुपये 10,000/- की मासिक कटौती वेतन से निम्नानुसार की जावेगी।

| क्रस0 | ग्रेड पे (जिसमें वेतन आहरित किया जा रहा है) | मासिक कटौती |
|-------|---|-------------|
| 1 | ग्रेड पे-2800/- तक | 200/- |
| 2 | ग्रेड 2800 से अधिक लेकिन ग्रेड पे-4800 तक | 300/- |
| 3 | ग्रेड पे 4800/- से अधिक | 400/- |

किरसी भी कार्यरत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति रुपये 10,000/- की कटौती पूर्ण होने से पूर्व होने की स्थिति में शेष राशि नकद वसूली जावेगी।

5. योजना के बिन्दु संख्या -9 (i) के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा भुगतान हेतु चिकित्सा देयक सम्बन्धित इकाई/आगार जहाँ से परिचय पत्र बनवाया/नवीनीकरण करवाया गया है उस इकाई के माध्यम से उप महा प्रबन्धक (पेंशन) को प्रेषित किये जावेंगे। इकाई प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वह समस्त तथ्यों की जाँच करते हुए चिकित्सा देयक उप महा प्रबन्धक (पेंशन) को प्रेषित करें।

(जी0डी0ब्यास)

वित्तीय सलाहकार

दिनांक 12-09-2013

क्रमांक:-एफ-4/वित्त/नियम/ /2013/6764

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक रारापप निगम मु0 जयपुर।
- 2- कार्यकारी निदेशक () रारापप निगम मु0 जयपुर।
- 3- महा प्रबन्धक () रारापप निगम मु0 जयपुर।
- 4- उप महा प्रबन्धक () कार्यकारी प्रबन्धक () रापनि0 मु0 जयपुर
- 5- जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम -----
- 6- मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी रानि0 के0का0 -----
- 7- लेखाधिकारी () रारापप निगम मु0 जयपुर।
- 8- मुख्य प्रबन्धक /प्रबन्धक (वित्त) रारापप निगम -----
- 9- सहायक लेखाधिकारी () रारापप निगम मु0 जयपुर।
- 10- रक्षित पत्रावली।

(एस0एन0मूदडा)

महा प्रबन्धक (वित्त-नियम)